क्रमांक 15011/35/2021-जेयूएस(एयू)

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग (समन्वय)

जैसलमेर हाउस, 26 मान सिंह रोड,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: मंत्रिमंडल के लिए सितंबर, 2021 माह के मासिक सार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा न्याय विभाग के सितंबर, 2021 माह के मासिक सार की एक प्रति सूचनार्थ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आर. एस. सिद्धू)

अवर सचिव (प्रशासन)

ई मेल आई डीः sidhu.rajender@nic.in

संलग्नः यथोपरि ।

प्रति

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः:

निदेशक [डॉ. टीना सोनी], कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषितः:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार के सभी सचिव।
5. विधि एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

भारत सरकार

कानून एवं न्याय मंत्रालय

विभाग का न्याय

विषय: न्याय विभाग के संबंध में सितंबर, 2021 माह का मासिक सार।

न्याय विभाग की सितंबर, 2021 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए):

17 सितंबर, 2021 को, नालसा के तहत देश भर के कानूनी सेवा संस्थानों ने मोबाइल वैन, कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से आउटरीच और कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए और आम नागरिकों के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत एक अखिल भारतीय "आम नागरिकों के बीच कानूनी जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान" का आयोजन किया। इस अभियान की मुख्य विशेषताओं में कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता फैलाने और जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता योजना लागू करने के लिए पैनल वकीलों/पीएलवी का मार्गदर्शन करने के लिए 273 जिलों के 51852 गांवों में 1335 मोबाइल वैन की व्यवस्था करना शामिल है। इसके अलावा, 8512 पैनल वकील और पीएलवी को कानूनी सेवा क्लीनिकों में तैनात किया गया, जिन्होंने 494 जिलों को कवर करते हुए नागरिकों के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए 4793 कार्यक्रम आयोजित किए। उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से, नालसा एक ही दिन में 25.96 लाख लोगों तक कानूनी जानकारी प्रसारित करने में सक्षम हुआ जो एक रिकॉर्ड उपलब्धि रही है।

2. न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना:

न्यायपालिका की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सीएसएस की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 16-23 सितंबर, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कानून/पीडब्ल्यूडी सचिवों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास पर सीएसएस से संबंधित न्याय विकास 2.0 पोर्टल में और सुधार के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो की टीम के साथ दिनांक 20.09.2021 को एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी। वर्तमान में, 6059 कोर्ट हॉल (पूर्ण और निर्माणाधीन) और 5912 आवासीय इकाइयां (पूर्ण और निर्माणाधीन) पोर्टल पर जियोटैग की गई हैं।

3. **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी):**

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना/परिचालन के कार्यान्वयन में सुधार के लिए दिनांक 01.09.2021 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधि सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। वर्तमान में, 367 विशिष्ट पोक्सो अदालतों सहित 674 फास्ट ट्रैक कोर्ट 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं और डैशबोर्ड पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगस्त 2021 तक 56267 मामलों का निपटारा किया गया।

4. **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना-व्यापक परिणाम:**

- **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड:** वादी 19.16 करोड़ से अधिक मामलों और 15.15 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **वर्चुअल न्यायालय:** 12 वर्चुअल कोर्टों द्वारा 86 लाख से अधिक (86,69,470) मामलों को निपटाया गया है और दिनांक 08.09.2021 तक 175 करोड़ रुपये से अधिक रुपये का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है।
- **ई कोर्ट मोबाइल ऐप**: ई कोर्ट मोबाइल ऐप को दिनांक 09.09.2021 तक कुल 64.44 व्यक्तियों द्वारा डाउनलोड किया गया है।
- **उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** कोविड लॉकडाउन शुरू होने के समय से, जिला अदालतों ने 89,57,395 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड का उपयोग करके दिनांक 31.08.2021 तक 48,60,500 मामलों (कुल 1.38 करोड़) की सुनवाई की।
- **वैन:** वैन परियोजना के अंतर्गत, 2992 साइटों में से 2954 साइटों को (98.7% साइटों को पूरा करते हुए)10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ चालू किया गया है।
- **भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस के साथ अदालती आवेदन का एकीकरण:** 18 उच्च न्यायालयों ने 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने की अनुमति दी है।
- **ईकोर्ट सेवाओं का प्रशिक्षण:** उच्चतम न्यायालय और एनआईसी, पुणे की ई-समिति के सहयोग से दिनांक 01.09.2021 को न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए ई-कोर्ट सेवाओं पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

5. **टेली-लॉ:**

- 60,636 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई, जिसमें 18,529 महिलाएं, 18,394 अनुसूचित जाति, 12,022 अनुसूचित जनजाति और 20,249 ओबीसी लाभार्थी शामिल थे। 30 सितंबर, 2021 तक कुल

11,66,903 मामलों के लिए सलाह दी गई। '**एक पहल**' (लॉगिन डेज़) अभियान 17 सितंबर, 2021 से देश के 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए शुरू किया गया था। प्रत्येक सीएससी में "कानूनी सलाह सहायक केंद्र' पर टेली-लॉ बैनर प्रदर्शित किए गए।

- 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 25 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें 1582 राज्य स्तरीय समन्वयक/जिला प्रबंधक/ग्राम स्तरीय उद्यमी/पैरा लीगल स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

6. **न्याय बंधु:**

- सितंबर 2021 माह के दौरान न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 160 नए वकीलों ने पंजीकरण कराया। कुल 3341 वकीलों (पुरुष - 2943, महिला - 396, ट्रांसजेंडर-02) ने इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराया है। असम राज्य से पहले ट्रांसजेंडर प्रो बोनो एडवोकेट को कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किया गया।
- न्याय बंधु पैनल के तहत अब तक कुल 416 प्रो बोनो वकीलों को 12 उच्च न्यायालयों द्वारा नामांकित किया गया है।

7. **कानूनी साक्षरता कार्यक्रम:**

- 22 सितंबर, 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, मंडी जिला पुलिस, हिमाचल प्रदेश और एक गैर सरकारी संगठन के पैनलिस्टों के साथ "घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005" पर एक वेबिनार आयोजित की गई थी। इस वेबिनार में 30,000 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया।
- जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर ने बाल यौन शोषण से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षकों के दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया।

*****